

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक मई 02, 2023

!!□ आज दिनांक 02.05.2023 को पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

1. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक ।

*2.*महराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई ।

3*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 178 वाहनों का चालान किया गया।

*4.*पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण,स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी । तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। तथा 00 वाहनो से 00रु शमन शुल्क वसूला गाय।

5.शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 107 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

06*पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। तथा 10 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस अधिनियम में की गयी कार्यवाही ।

07*अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-1.अभियुक्त सुरेश पुत्र जगदीश निवासी सेमरहनी चाई टोला थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज के कब्जे से दो जरिकैन में 20 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-111/23 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम में पंजीकृत चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2.अभियुक्त करन पुत्र जयराम निवासी तेली टोला मगहर काजीपुर थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 पैकेट देशी शराब बंटी बबली बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-113/23 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

08*जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-1.अभियुक्त बबलू पुत्र स्व0 लालजी लाल श्रीवास्तव निवासी चित्रगुप्त नगर वार्ड न0 24 2.निरंजन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी सानी नगर वार्ड नगर 07 3.अजीम खान पुत्र मु0 उमर खान निवासी मीराबाई नगर वार्ड न0 25 थाना कोठीभार जनपद महराजगंज के कब्जे से 52 पत्ते व मालफड़ 2800 रुपया व जामा तलाशी का 1530 रुपया बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-167/23 धारा 13 जुआ अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

09*यू0पी0 गैग्रेस्टर अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अमन विश्वकर्मा उर्फ बाबू लोहार उर्फ मन्नी विश्वकर्मा पुत्र जितेन्द्र विश्वकर्मा निवासी गांधीनगर पिपरदेउरा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज 2.मोनू भारती पुत्र सुधान भारती निवासी प्रतापपुर थाना चिलुआताल जनपद महराजगंज को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-168/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

10*गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त मानसिंह पुत्र सुदामा निवासी ग्राम मिठौरा टोला हरतोडवा थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद चा0रि0 बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-निल/23 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त रामदीन पुत्र बृजलाल निवासी चेहरी टोला लोहरा 2.अजय यादव पुत्र सीरी यादव निवासी गोपी 3.रमेश यादव पुत्र बहादुर निवासी चेहरी टोला दुधई गढई थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 03 अदद चा0रि0 बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-निल/23 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

11*विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-18 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

***12*जनपद में 01.05..2023 से 02.05.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल-29अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।**

13*आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा ।